UPAG010067672026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–7, आगरा।

उपस्थित : सुरजन सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा– UP06370

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2919/2026

1. दुर्गा प्रसाद उर्फ बटुआ पुत्र रामनाथ, उम्र करीब 53 वर्ष,
2. भूदेव पुत्र रामचरन, उम्र करीब 46 वर्ष,

निवासीगण– अखेराम का पुरा दनकशा, थाना सैंया, जिला आगरा।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी

मु0अ0सं0: 189/2024
धाराः 333,115(2),352,351(3) बी.एन.एस.
थाना सैंया, जिला आगरा।
दण्डवाद सं0 20035/2025

दिनांक : 09.07.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दुर्गा प्रसाद उर्फ बटुआ व भूदेव की ओर से मु0अ0सं0 189/2024 अन्तर्गत धारा 333,115(2),352,351(3) बी.एन.एस. थाना सैंया, जिला आगरा के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उनके स्वयं के संयुक्त शपथ पत्र से समर्थित है, जिसमें यह वर्णित है कि यह प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री निरंजन शर्मा निवासिनी– गॉव दनकशा मजरा अखेराम का पुरा थाना सैंया, आगरा के द्वारा थाना सैंया, आगरा पर तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 19.09.2024 को समय करीब 08.30 बजे वादिनी अपनी पुत्री के साथ अपने घर सो रही थी। तभी अचानक गेट ठोकने व गाली–गलौज की आवाज सुनाई दी। तो उसने आकर देखा तो उसके पड़ौसी दुर्गा प्रसाद उर्फ बटुआ पुत्र रामनाथ, गीताराम पुत्र भूदेव, भूदेव पुत्र राम चरन व अन्य 4–5 लोगों के साथ उसके घर के अन्दर भद्दी–भद्दी गालियॉ देते हुए घुस आये और उसके साथ मारपीट करने लगे। उसकी पुत्री रमा ने उसे उपरोक्त लोगों से बचाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट की और उसकी टी शर्ट को फाड दिया। शोरगुल सुनकर उसकी देवरानी मीना देवी पत्नी श्री राम कुमार और उसकी पुत्री रानी आ गयी। रानी ने अपने फोन से इन लोगों का वीडियो बनाई तो भूदेव ने मोबाइन छीनकर फैंक दिया। उसकी पुत्री रमा ने मौका पाकर 112 पर 09.00 बजे डायल कर दिया जो कि थोडी देर बाद पी.आर.वी. 615 मौके पर पहुॅच गयी। तब तक उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी व भद्दी भद्दी गाली देते हुए भाग गये। पी.आर.वी. पुलिस उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्यवाही का आश्वासन देकर चली गयी। उक्त लोगों पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

4. वादिनी की उक्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 189/2024 धारा– 191(1) 333,115(2),352,351(3) बी.एन.एस. थाना– सैंया जिला आगरा पर अभियुक्तगण दुर्गा प्रसाद

उर्फ बटुआ, गीताराम, भूदेव व 4–5 अन्य अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत हुआ। बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्त गीताराम की नामजदगी गलत पाते हुए व धारा 191(1) का लोप करते हुए अभियुक्तगण दुर्गा प्रसाद उर्फ बटुआ व भूदेव के विरूद्ध धारा 333,115(2),352,351(3) बी.एन.एस. के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

5. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूॅठा फंसाया गया है। उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वे पूर्णतः निर्दोष हैं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तीन दिन बाद दर्ज करायी गयी है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। द्वेषभावना से मुकदमा दर्ज कराया गया है। घटना में किसी को कोई चोट नहीं आयी है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को अपनी गिरफ्तारी की पूर्ण आशंका है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की याचना की गयी है।

6. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर वादिनी मुकदमा, उसकी पुत्री को मारपीट कर उपहित कारित की, गाली–गलौज कर अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी दी। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

7. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

8. धारा–482 बी0एन0एस0एस0 में यह प्रावधान है कि :–

''(1) जब किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि हो सकता है कि उसको किसी अजमानतीय अपराध के किये जाने के अभियोग में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह इस धारा के अधीन निर्देश के लिये उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को आवेदन कर सकता है, और यदि वह न्यायालय ठीक समझे तो वह निर्देश दे सकता है कि ऐसी गिरफतारी की स्थिति में उसको जमानत पर छोड़ दिया जाये।

(2) जब उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश देता है, तब वह विशिष्ट मामले के तथ्यों के आलोक में ऐसे निदेशों में ऐसी शर्तें सम्मिलित कर सकता है, जो वह ठीक समझे, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं–

(i) यह शर्त कि वह व्यक्ति पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिए जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होगा,

(ii) यह शर्त कि वह व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा,

(iii) यह शर्त कि वह व्यक्ति न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा,

(iv) ऐसी अन्य शर्त जो धारा 480 की उपधारा (3) के अधीन ऐसे अधिरोपित की जा सकती है मानो उस धारा के अधीन जमानत मंजूर की गई हो। ''

9. अभियोजन कथानक के अनुसार प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर वादिनी मुकदमा, उसकी पुत्री को मारपीट कर उपहित कारित करने, गाली–गलौज कर अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में धारा 333,115(2),352,351(3) बी.एन.एस. के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण को धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. के तहत लाभ देते हुए बिना

गिरफ्तारी आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा उक्त धारा के अन्तर्गत दिए गए लाभ का कोई दुरूपयोग किया गया हो। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है एवं अधिरोपित अपराध में सात वर्ष तक के सजा का प्रावधान है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त दुर्ग प्रसाद उर्फ बटुआ के विरूद्ध एक अन्य मुकदमा दर्ज होने का कथन किया गया है। अभियुक्त की कोई दोषसिद्ध का उल्लेख नहीं है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध आदेशिकाऐं निर्गत हैं।

10. अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों में, बिना मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किए, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **दुर्गा प्रसाद उर्फ बटुआ व भूदेव** का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रस्तुत मामले में मु0 50,000/– 50,000/– रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो–दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को निम्न शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाता है :–

1. यह कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण में सहयोग करेंगें।
2. यह कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दौरान विचारण मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगें तथा साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेंगें।
3. यह कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहेंगें तथा अनावश्यक स्थगन नहीं देगें।
4. यह कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगें।

दिनांक 09.07.2026

(सुरजन सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–7,
आगरा।